(58)

पत्रांक–........../ 139 /

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 19/01/18 /

विषय :– मानव शृंखला से संबंधित वाद CWJC No-992/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त निदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मानव शृंखला से संबंधित वाद CWJC No-992 / 2018 की सुनवाई माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक–16.01.2018 को की गई एवं निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. शृंखला निर्माण में बच्चों, सरकारी कर्मियों एवं लोगों की भागीदारी के लिए कोई बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।
2. शृंखला में भाग लेना स्वैच्छिक (voluntary) होगा।
3. यदि कोई सरकारी कर्मी या व्यक्ति, छात्र–छात्रा शृंखला में भाग नहीं लेता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई (coercive action) नहीं की जाएगी।

उपयुक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। यदि किसी पदाधिकारी / कर्मी के द्वारा इसके विपरीत कोई कार्य किया जाऐगा या आदेश निर्गत किया जाऐगा तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह० 18/1/18

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

(57)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–02–विविध–916/2016.......725(म) पटना, दिनांक– 19/1/18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव//सभी मुख्य अभियंता/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी कर्मचारी एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/2018

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।